ACM आमेर जयपुर

फर्द अहकाम

गाहड़ा नाई बनाम बाबुराम

...म न्यायालय

...स संख्या 129/22 डावा

...म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	16/7/25	पत्रावली प्रस्तुत। वादी व वादी के अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली आदेश हेतु नियत है। वाद वादी एवं काउन्टर क्लेम दोनों खारिज किये जाते हैं। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या – 129/2022 वाद प्रस्तुति दिनांक –28.11.2022

नानूड़ा उर्फ नानूराम पुत्र मंगला उम्र 75 साल जाति जाट निवासी ग्राम बुगालिया तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्थान ।

.......वादी

बनाम

1. कानाराम पुत्र स्व. श्री धन्नाराम उम्र 63 साल,
2. दिनेश पुत्र श्री कानाराम उम्र वयस्क,
3. मुकेश पुत्र श्री कानाराम उम्र वयस्क,
4. रमेश पुत्र श्री कानाराम उम्र वयस्क,
   रामरत जाति बलाई निवासी ग्राम बुगालिया तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्थान ।
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्थान ।

.......प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री जगदीश सैनी – अधिवक्ता वादी की ओर से
(3) श्री रामजीलाल वर्मा – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से

दिनांक 16.07.2025

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बुगालिया पटवार हल्का विचपडी भुअभिलेख निरक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर मे खसरा नम्बर 301 रकबा 1.4900 हैक्टीयर गैर मुमकिन रास्ते कि भुमि है, जो ग्राम बुगालिया वाया चौमु मे जाने के लिए मैन रोड सरकार द्वारा पक्की सडक डाली हुई है और पक्की सडक के दोनो और इसी खसरे का रास्ते का गलियारा स्थित है जिसके पुर्व की और वादी की खातेदारी भुमि खसरा नम्बर 567/249 रकबा 0.1900 हैक्टीयर, खसरा नम्बर 565/243 रकबा 0.5[illegible] हैक्टीयर वादी कि खातेदारी भुमि स्थित है जिसमे वादी एंव वादी के [illegible] साल पुर्व से इस रास्ते के खसरे का रास्ते के रूप में उपयोग करते आ [illegible] रास्ते की भुमि से होकर अपनी खातेदारी भुमि में आते जाते रहे है। प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 वादी की भुमि के आगे स्थित रास्ते की भुमि पर अतिक्रमण कर वादी के रास्ते को बन्द कर वादी को उसकी खातेदारी भुमि के उपयोग उपभोग करने के अधिकार से वंचित कर देना चाहते

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:26 IST
Reason: SelfAttested.

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

है। इस उद्देश्य से प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उक्त रास्ते की भुमि पर अपने वाडे मे बनी झोपड़ी को वादी द्वारा अपने पुत्रो के साथ मिलकर हटाने, दो ट्रोली पत्थर व चारो तरफ की हुई तारबन्दी एंव बनी हुई छप्पर को उखाड़ कर ले जाने सहित कई गम्भीर आरोप लगाते हुए दिंनाक 06.08.2022 को प्रथम सुचना रिर्पोट संख्या 324 / 2022 पुलिस थाना कालवाड़ में एससी / एसटी एक्ट में दर्ज करवा दिया गया ताकि वादी को मजबुर कर प्रतिवादी उक्त रास्ते की भुमि पर कब्जा कर वादी को उसकी खातेदारी भुमि के उपयोग उपभोग के अधिकार से वंचित किया जा सके। प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 उक्त रास्ते की भुमि पर कब्जा कर वादी को उक्त वर्णित उसकी खातेदारी भुमि के उपयोग उपभोग के अधिकार से वंचित करने कि नियत से दिंनाक 20.11.2022 को रास्ते को बन्द कर वादी को भुमि के अन्दर नही जाने देने कि धमकी दी गई। प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 द्वारा किये जा रहे उक्त अवैध कृत्य के विरूद वादी के पास उक्त वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने के कारण उक्त वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः वाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। वादी माननीय न्यायालय से स्थाई निषेधाज्ञा की डिकि इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है कि "प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 वादी की खातेदारी भुमि के पश्चिम की और चालू रास्ते पर अतिक्रमण कर वादी को उसकी खातेदारी भुमि के उपयोग उपभोग के अधिकार से वंचित नही करे, रास्ते कि भुमि पर कब्जा, तामीरात निर्माण इत्यादी नही करे ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट प्रतिनिधि एंव उत्ताराधिकारियो के माध्यम से करे। वाद कारण दिंनाक 20.11.2022 को प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 द्वारा रास्ते को बन्द कर वादी को उसकी खातेदारी भुमि के अन्दर नहीं जाने की धमकी देने से उत्पन्न होकर हर समय व हर क्षण उत्पन्न हो रहा है। डिकि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावे कि वादी को वर्णित रास्ते एंव खातेदारी भुमि के शांतिपुर्वक उपयोग उपभोग में लेने मे कोई अडचन व व्यवधान पैदा नही करे। तथा ऐसा प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट प्रतिनिधि, उत्तराधिकारियो इत्यादी से ही करावे।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादपत्र की मद [illegible] 2 [illegible] स कदर तहरीर की गई है स्वीकार नहीं है। वास्तविकता [illegible] है कि ग्राम बु[illegible]या पटवार हल्का बिचपडी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में खसरा नम्बर 301, रकबा 4.4900 हैक्टेयर स्थित है जिसमें सरकारी सडक बनी हुई है तथा सडक के दोनो तरफ लगभग 60 फीट चौडी जमीन खाली है तथा उसके बाद ग्राम बुगालिया में बुनकर मौहल्ला बसा हुआ है तथा पक्के है तथा प्रतिवादी का बाडा बना हुआ है जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:26 IST
Reason: SelfAttested

लगभग 500 वर्गगज भूमि है, जिसके चारो तरफ पिल्लर गाड कर प्रतिवादीगण ने कई वर्षो से तारबंदी कर रखी थी तथा खाम घर बना रखा है उसके बाद वादी की खातेदारी भूमि है जिसमें जाने के लिए अलग से रास्ता है तथा प्रतिवादी का बाडे पर लगभग 40 वर्षो से काबिज है प्रतिवादी सं 1 का राजस्व रिकार्ड में भी नाम अंकित है जिसमें प्रतिवादी सं 1 का बाडा डोली दर्शाया गया है इस प्रकार उक्त भूमि प्रतिवादी सं 1 के आधिपत्य व स्वामित्व की भूमि है। वादपत्र की मद सं 2 जिस कदर तहरीर की गई है स्वीकार नहीं है। वास्तविकता यह है कि खसरा नम्बर 301 रकबा 4.4900 हैक्टेयर में पूरा बुनकर मौहल्ला बसा हुआ है जो कई वर्षो पूर्व से ग्राम वासी पक्के मकान बनाकर रह रहे है तथा प्रतिवादी सं 1 ने एक पुख्ता बाडा बना रखा था जिसके पास से होकर वादी का अलग से रास्ता है जिसके बावजूद एक षडयंत्र के तहत प्रतिवादीगण के बाडे को हथियाने के लिए बाडे में लगे पिल्लर व तारो को वादी ने चोरी कर ली तथा प्रतिवादीगण की गैर मौजूदगी में पिल्लर व तार चोरी करके ले गया जिसकी पुलिस थाना कालवाड में प्रतिवादी सं 1 कानाराम ने दिनांक 6.8.2022 को एक प्रथम सूचना रिर्पोट संख्या 324/2022 वादी के विरूद्ध करवाई जो कि जेरे अनुसंधान है तथा बदनियति पूर्वक न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुये प्रतवादीगण के बाडे को हडपने की नियत से यह वादपत्र पेश किया है जबकि वादी का रास्ता अलग है इसलिए वादी का वाद सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। वादपत्र की मद सं 3 जिस कदर तहरीर तहरीर की गई है स्वीकार नहीं है वस्तुस्थिति यह है कि वादी प्रतिवादीगण के आधिपत्य व स्वामित्व के भूमि को हथियाना चाहता है जिसके बावत उसने स्वयं वादी ने स्वीकार किया है कि प्रतिवादी सं 1 कानाराम ने उसके विरूद्ध पुलिस थाना कालवाड में दिनांक 6.8.2022 को प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करायी है तो दिनांक 20.11.2022 को धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा उभय पक्षो में तनाजा कई महिनो पूर्व से चल रहा है एवं झूठी कहानी बनाकर मान्य न्यायालय में गैर कानूनी तरीके से निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत प्रार्थनापत्र व दावा पेश किया है जो कि किसी कदर भी चलने योग्य नहीं है तथा सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है वादपत्र की मद सं 4 जिस कदर तहरीर तहरीर की गई है स्वीकार नहीं है वास्तविकता यह है कि वादी ने एक षडयंत्र के तहत न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग करते हुये यह दावा पेश किया है तथा यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है तथा एक झूठी कहानी बनाकर दावा मय प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मान्य न्यायालय में पेश किया गया है जो कि सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। वादपत्र की मद सं 5 जिस कदर तहरीर तहरीर की गई है स्वीकार नहीं है वादी कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है क्योकि खसरा नम्बर 301 में गांव बसा हुआ है तथा वादी का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

टाईटल नहीं है न कोई कब्जा है न राजस्व रिकार्ड में उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता कटा हुआ है तथा वादी ने केवल स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश है तथा कोई घोषणात्मक दावा पेश नहीं किया है केवल मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है जो कानूनन नहीं चल सकता इसलिए वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। मात्र से ही स्पष्ट है कि दिनांक 20.11.2022 को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। क्योकि वादी स्वयं की अपने दावे में स्वीकार कर रहा है कि प्रतिवादी सं 1 ने उसके विरूद्ध दिनांक 6.8.2022 को पुलिस थाना कालवाड में प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करायी है तथा वादी व प्रतिवादीगण के बीच कई महिनो से तनाजा चल रहा है इसलिए दिनांक 20.11.2022 को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ न प्रतिवादीगण ने ऐसी कोई धमकी दी है एवं झूठी कहानी बनाकर यह प्रार्थनापत्र व दावा पेश किया गया है जो कि सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। वादपत्र के अनुतोष की मद संख्या क ख ग मद में अंकित किये गये है उनमे वादी कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है वादी प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का कानूनन अधिकारी नहीं है, ना ही खर्चा मुकदमा वादी प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी का वाद सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। क्योकि खसरा नम्बर 301 में सडक से लगवा 60 फीट छोडकर पूरा बुनकर मौहल्ला बसा हुआ है तथा कई वर्षो पूर्व लोग पक्के मकान बनाकर रह रहे है जिसमें पटटे भी है तथा पानी बिजली के कनेक्शन लगे है तथा प्रतिवादीगण का लगभग 40 वर्षों से बाडा बना हुआ है जिसके चारो ओर पिल्लर गाड कर प्रतिवादीगण ने तार बंदी कर रखी थी तथा खाम घर बना रखा था तथा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं 1 का नाम अंकित है जिसका प्रतिवादी सं 1 सरकार में लगान भी देता रहा है तथा यहां यह भी उल्लेखनीय है कि तहसीलदार आमेर ने प्रतिवादी व अन्य ग्रामीणो को सन 1999 में भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जिसमें प्रतिवादी सं 1 व अन्य ग्रामीणो का कब्जा माना था तथा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही प्रतिवादी सं 1 व ग्रामीणो के पक्ष में की गई थी क्योकि खसरा नम्बर 301 में पूरा गांव बसा हुआ है। अतः जवाब दावा मय शपथपत्र सेवामें पेश कर सविनय निवेदन है कि वादी का वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा झूठा शपथपत्र पेश करके न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग मान्य न्यायालय के कीमती समय को बर्बाद करने व झूठे तथ्यों के आधार पर दावा पेश करने के क्रम में धारा 340 दं.प्र.सं. के तहत अलग से कार्यवाही करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumlah Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की तरफ से काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम बुगालिया पटवार हल्का बिचपडी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में खसरा नम्बर 301 रकबा

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

4.4900 स्थित है जिसमें सरकारी सड़क के दोनो ओर लगभग 60 फीट खाली जमीन के बाद पूर्व की ओर सडक के किनारे किनारे बुनकर मौहल्ला कई वर्षो से बसा हुआ है तथा पक्के मकान बनाकर ग्रामीण अपने अपने परिवार सहित रह रहे है तथा पानी बिजली के कनेक्शन कई वर्षो से लगे हुये है। प्रार्थी / प्रतिवादी एक गरीब व्यक्ति है जो मकान नहीं बना सका तथा लगभग 500 वर्गगज जमीन के चारो ओर पिल्लर गाडकर तारबंदी कर रखी थी तथा खाम घर बना रखा था उक्त भूमि को करीब 40 वर्षो से उपयोग उपभोग कर रहा है तथा अप्रार्थी / वादी की खातेदारी की भूमि प्रार्थी / प्रतिवादी के पिछवाडे में स्थित जिसमें आने जाने का रास्ता प्रार्थी / प्रतिवादी के बाडे के पास से अलग से रास्ता स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी / प्रतिवादी का 40 वर्षो से क़ब्जा है जिसके बाबत अप्रार्थी /वादी को सन 1990 में तहसीलदार आमेर ने दफा 91 भू राजस्व अधिनियम का नोटिस दिया था जो कि जिससे प्रार्थी प्रतिवादी सं 1 का कब्जा साबित है तथा प्रार्थी / प्रतिवादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है तथा प्रार्थी / प्रतिवादी लगान भी जमा करवाता आ रहा है इसलिए उक्त खसरा नम्बर में प्रार्थी /प्रतिवादी का बाडा बना हुआ है तथा राजस्व रिकार्ड में बाडा डोली अंकित है तथा बाडे के चारो ओर पिल्लर गाडकर तारबंदी कर रखी थी व खाम घर बनाकर प्रार्थी प्रतिवादी रहता आ रहा है एवं अपने जानवर गाय भैस पालकर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता आया है तथा उसी बाडे में अपनी गाय भैसें बांधता है। वादी अप्रार्थी बदनियति से प्रार्थी / प्रतिवादी के उक्त बाडे को हडपना चाहता है जिसके क्रम में वादी अप्रार्थी ने प्रार्थी / प्रतिवादी के लगे पिल्लर व तार चोरी करके ले गया जिसकी प्रथम सूचना रिर्पोट संख्या 324/2022 दिनांकित 6.8.2022 को पुलिस थाना कालवाड में दर्ज करा रखी है जो जेरे अनुसंधान है इस प्रकार उक्त बाडा प्रार्थी प्रतिवादी के आधिपत्य व स्वामित्व की सम्पति है। वादी / अप्रार्थी, प्रार्थी / प्रतिवादी के आधिपत्य व स्वामित्व के बाडे को हडपना चाहता है तथा जबरन कब्जा करना चाहता है जिसका उसे कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए उसे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना कानूनन उचित एवं आवश्यक है। वादी / अप्रार्थी, प्रार्थी / प्रतिवादी के आधिपत्य व स्वामित्व की भूमि (बाडा) में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे जबरन कब्जा नहीं करे, जबरन काश्त [illegible] व प्रार्थी प्रतिवादी के उपयोग उपभोग में बाधा व रूकावट कारित [illegible] वादी /अप्रार्थी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं [illegible] वादी [illegible] स्वामित्व व आधिपत्य के बाडे से महरूम कर उसके उपयोग उपभोग में रूकावट [illegible] बाधा कारित कर देगा जिससे प्रार्थी/प्रतिवादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप सम्भव नहीं होगी। अतः जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम मय शपथपत्र प्रस्तुत कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर प्र. जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

निवेदन है कि काउन्टर क्लेम को स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी/वादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

पत्रावली में प्रस्तुत जवाबदावामय काउण्टर क्लेम व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा निम्नानुसार तनकीयात् कायम की गई।

1. आया वादी के खसरा नंबर 567/249, 565/243 वाके ग्राम बुगालिया की खातेदारी जमीन के आगे स्थित रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर वादी के रास्ते को बंद करना चाहते हैं ?

   —वादी

2. आया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वादी की खातेदारी भूमि के पश्चिम की ओर चालू रास्ते पर अतिक्रमण नहीं करें तथा वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है ?

   ..वादी

3. आया खसरा नंबर 301 रकबा 4.4900 हैक्टेयर सरकारी भूमि है सड़क के दोनों तरफ 60 फीट चौडी जमीन खाली है जिसमें प्रतिवादी का बाडा बना हुआ है जो कि प्रतिवादी–1 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है ?

   ....प्रति. 1 ता 4

4. आया प्रतिवादीगण के रिकॉर्डेड बाडे को हडपने की नियत से वाद पत्र दाखिल किया है जो खारिज होने योग्य है ?

   ....प्रति 1 ता 4

5. आया वादी की खातेदारी की भूमि प्रतिवादी के पिछवाई में स्थित है जिसके आने जाने का रास्ता प्रतिवादी के बाडे के पास से अलग से रास्ता स्थित है अतः वाद खारिज होने योग्य है ?

   —काउंटर क्लेम प्रति. 1 ता 4

6. आया प्रतिवादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो कि बाडा है वादी उक्त बाडे को हडपना चाहता है ?

   .....काउंटर क्लेम प्रति. 1 ता 4

7. आया वादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे प्रतिवादी के रिकॉर्ड, आधिपत्य भूमि (बाडा) पर किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें ?

   ...काउंटर क्लेम प्रति. 1 ता 4

वादी को कई पेशीयो पर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतू अवसर दिया गया परन्तु वादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किये और ना ही प्रतिवादीगण के गवाहान से जिरह की गई। इसलिए वादी का साक्ष्य एवं जिरह का अवसर बंद किया गया। तदुपरान्त साक्ष्य प्रतिवादी हेतु प्रतिवादी पक्ष द्वारा निम्नलिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

1 DW1 बकानाराम पुत्र स्व. श्री धन्नाराम जाति बलाई, निवासी ग्राम बुगालिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर,राज.।

दस्तावेज साक्ष्य में प्रतिवादी पक्ष कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये।

सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर

वाद एवं वादी के अधिवक्ता बार बार अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण/काउण्टरक्लेमकर्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस तथा प्रतिवादीगण के जवाब दावा एवं काउण्टरक्लेम पर मनन किया। पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है :–

1. आया वादी के खसरा नंबर 567/249, 565/243 वाके ग्राम बुगालिया की खातेदारी जमीन के आगे स्थित रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर वादी के रास्ते को बंद करना चाहते हैं ?

–वादी

2. आया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वादी की खातेदारी भूमि के पश्चिम की ओर चालू रास्ते पर अतिक्रमण नहीं करें तथा वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है ?

..वादी

तनकी संख्या 1 लगायत 2 सुविधा की दृष्टिकोण से एकसाथ निर्णित की जा रही है। वादी ने उक्त वाद में अपनी शहादत प्रस्तुत नहीं की है एवं इसी कारण वादी की साक्ष्य दिनांक 30.07.2024 को बंद की गई है, किसी भी प्रस्तुत वाद को निस्तारित करने हेतु साक्ष्यों की अहम भूमिका होती है उक्त वाद में वादी को साक्ष्य हेतु कई अवसर दिये जाने के बाद दिनांक 30.07.2024 को साक्ष्य का अवसर बंद किया जा चुका है जिससे स्पष्ट होता है कि वादी अपने दावे के समर्थन मे आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाये है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 1 व 2 साक्ष्य के अभाव में वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

3. आया खसरा नंबर 301 रकबा 4.4900 हैक्टेयर सरकारी भूमि है सड़क के दोनों तरफ 60 फीट चौडी जमीन खाली है जिसमें प्रतिवादी का बाडा बना हुआ है जो कि प्रतिवादी–1 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है ?

....प्रति. 1 ता 4

4. आया प्रतिवादीगण के रिकॉर्डेड बाडे को हडपने की नियत से वाद पत्र दाखिल किया है जो खारिज होने योग्य है ?

....प्रति 1 ता 4

5. आया वादी की खातेदारी की भूमि प्रतिवादी के पिछवाई में स्थित है जिसके आने जाने का रास्ता प्रतिवादी के बाडे के पास से अलग से रास्ता स्थित है अतः वाद खारिज होने योग्य है ?

...काउंटर क्लेम प्रति. 1 ता 4

6. आया प्रतिवादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में ... कि बाडा है वादी उक्त बाडे को हडपना चाहता है ?

...काउंटर क्लेम प्रति. 1 ता 4

तनकी संख्या 3 लगायत 6 सुविधा की दृष्टिकोण से एकसाथ निर्णित की जा रही है। प्रतिवादी ने उक्त वाद में अपने काउण्टरक्लेम एवं जवाबदावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये है, किसी भी प्रस्तुत काउण्टरक्लेम को निस्तारित करने हेतु साक्ष्यों की अहम भूमिका होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण अपने प्रतिदावे के समर्थन मे आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाये है। ऐसी स्थिति में

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 128/2022
बउनवानी – मानूडा उर्फ मानुराम बनाम कानाराम वगै0
निर्णय दिनांक :– 16.07.2025

तनकी संख्या 3 व 6 साक्ष्य के अभाव में प्रतिवादी/काउण्टरक्लेमकर्ता के विरूद्व निर्णित की जाती है।

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्व निर्णित होने से तथा तनकी संख्या 3 लगायत 6 काउण्टरक्लेमकर्ता के विरूद्व निर्णित होने से वादी का वाद एवं काउण्टक्लेमे अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 129 / 2022
बउनवानी – नानूडा उर्फ नानुराम बनाम कानाराम वगै0
निर्णय दिनांक :– 16.07.2025

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी **सुमन चौधरी** (आर.ए.एस)

वाद प्रस्तुति दिनांक –28.11.2022

नियमित वाद संख्या – 129 / 2022

नानूड़ा उर्फ नानूराम पुत्र मंगला उम्र 75 साल जाति जाट निवासी ग्राम बुगालिया तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्थान ।

.......वादी

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

बनाम

1. कानाराम पुत्र स्व. श्री धन्नाराम उम्र 63 साल,
2. दिनेश पुत्र श्री कानाराम उम्र वयस्क,
3. मुकेश पुत्र श्री कानाराम उम्र वयस्क,
4. रमेश पुत्र श्री कानाराम उम्र वयस्क,
   समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम बुगालिया तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्थान ।
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्थान ।

.......प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 16.07.2025

तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्व निर्णित होने से तथा तनकी संख्या 3 लगायत 6 काउण्टरक्लेमकर्ता के विरूद्व निर्णित होने से वादी का वाद एवं काउण्टक्लेमे अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 16.07.2025 को जारी किया ।

दस्तखत –––

ओहदा –––

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर